

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: प.1(1)चिस्वा / ग्रुप-2 / 2018

जयपुर, दिनांक : 08.10.2018

आदेश

मा. राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 171/2018 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 26.07.2018 की पालना में डा. अमित शर्मा, चिकित्सा अधिकारी को पूर्व पदस्थापन स्थान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धनला, पाली में कार्यग्रहण की अनुमति प्रदान की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

५१.१२
(पारस चन्द जैन)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
2. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि मा. राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 171/2018 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 26.07.2018 को शीघ्र वैकैट कराने की कार्यवाही करावें।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन अजमेर/उदयपुर
4. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, बांसवाडा
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली
6. संबंधित अधिकारी
7. कम्प्यूटर सेल
8. निजी /रक्षित पत्रावली

3
(ओ. पी. वर्मा)
शासन सहायक सचिव